उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

संख्याः– 160/07/LowerSub-21/G-1/2022-23, **दिनांक : 13 दिसम्बर, 2023**

मुख्य परीक्षा परिणाम (दिव्यांगजन उपश्रेणी)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा– 2021** के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 942 ऑफ 2023 (एस/एस) विनोद सिंह जीना बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य 02 रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में दिव्यांगजन उपश्रेणी के 06 पदों के सापेक्ष दिनांक 28.08.2022 को आयोजित **मुख्य (लिखित) परीक्षा** के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को औपबन्धिक (Provisional) रूप से सफल घोषित किया जाता है–

1. समेकित पद (नायब तहसीलदार, उपकारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, कर अधिकारी तथा खाण्डसारी निरीक्षक)

301513	304948	306606	307630	307781	308473	315459	324027
325591	350397	353003	374013	379138	380641	382328	393395
400318	411107	**कुल अभ्यर्थी : 18**					

नोट–

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवं अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा में सफल उक्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माह **जनवरी, 2024** में प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विभिन्न समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट में यथासमय पृथक से प्रसारित किया जाएगा।

3. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से सम्बन्धित सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जाएगा। अतः कृपया अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव